न्यायालय उपजिला कलैक्टर,अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

पीठासीन अधिकारीः– पवन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 78/2019

1. सुरेश कुमार पुत्र श्री राजू जाति ब्राहाम्ण उम्र 62 वर्ष निवासी भटटू समूला तहसील पालमपुर जिला कांगडा (हि.प्र.)
2. राकेश कुमार पुत्र श्री अमरनाथ जाति ब्राहाम्ण उम्र 46 वर्ष निवासी बलेहड तहसील धर्मशाला जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

––– प्रार्थीगण

बनाम्

1. किशोरीलाल पुत्र श्री राजू जाति ब्राहाम्ण निवासी भटोली फकोरिया तहसील देहरा जिला कांगड़ा (हि.प्र.)
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री राजू जाति ब्राहाम्ण निवासी भटोली फकोरिया तहसील देहरा जिला कांगड़ा (हि.प्र.)
3. चंचला देवी पुत्री राजू पत्नी सुभाषचन्द्र शर्मा जाति ब्राहाम्ण निवासी धमेटा तहसील फतेहपुर जिला कांगड़ा (हि.प्र.)
4. शकुन्तला देवी पुत्री राजू पत्नी सुशील कुमार डोगा जाति ब्राहाम्ण निवासी सैनी बिहार फेस नं0 2, हाउस नम्बर 883, बलटाना जिरकपुर, चण्डीगढ
5. सन्तोष कुमारी उर्फ सुचेता पुत्री राजू पत्नी स्व. लाजपतराय जाति ब्राहाम्ण निवासी हाउस नं0 बी–182 बंसत कालोनी, सियाली रोड पठानकोट (पंजाब)
6. सिमरता देवी पत्नी अमरनाथ जाति ब्राहाम्ण निवासी बलेहड तहसील धर्मशाला जिला कांगड़ा (हि.प्र.)
7. बबीता कुमारी पुत्री अमरनाथ जाति ब्राहाम्ण निवासी बलेहड तहसील धर्मशाला जिला कांगड़ा (हि.प्र.)
8. पालसिंह पुत्र बलदेवसिंह जाति जटसिख निवासी चक 11 के तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

––––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

वकील–

1. श्री चरणजीत सिंह एडवोकेट – प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री योगेन्द्र कुमार एडवोकेट – अप्रार्थी संख्या 1,5,8 की ओर से

दिनांक 13.11.19

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.05.03 17:00:39 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्[illegible]ा 212 आरटीए. का प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम चक 13 [illegible] तहसील अनूपगढ़ का खाता संख्या 20 पत्थर नं0 96/11 का 6.249 हैक्टेयर [illegible] रकबा प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण संख्या 1ता7 के नाम से संयुक्त रूप से राज[illegible] रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण यहा यह स्पष्ट करते है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण के पिता/दादा राजू पुत्र घुख के नाम से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज थी। जिसके देहान्त के उपरांत उक्त कृषि भूमि प्रार्थी सं. 1 एवं

अप्रार्थी सं. 1 ता 5 एवं प्रार्थी सं. 2 व अप्रार्थी सं. 6, 7 को बहिस्सा बराबर प्राप्त होकर प्रार्थी सं. 1 व अप्रार्थी सं.1ता5 के नाम कुल 5.356 हैक्टर बहिस्सा बराबर एवं प्रार्थी सं. 2 व अप्रार्थी सं. 6, 7 के नाम 0.893 हैक्टर बहिस्सा बराबर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई।वर्तमान जमाबंदी अनुसार प्रार्थी सं. 1 का 0.892 हैक्टर हिस्सा, प्रार्थी सं. 2 एवं अप्रार्थी सं. 6, 7 का 0.892 हैक्टर हिस्सा, अप्रार्थी सं. 1 ता 5 प्रत्येक का 0.892 हैक्टर हिस्सा बनता है। उक्त संयुक्त खाता की भूमि में प्रार्थीगण के हिस्सा की भूमि प्रार्थीगण के हक, अधिकार एवं अधिपत्य में है तथा उपरोक्तानुसार अपने–अपने हिस्सा की भूमि पर शांति पूर्वक काबिज काश्त होकर उसका निरंतर सुविधानुसार उपयोग एवं उपभोग कर रहे हैं।चूंकि विवादित आराजी राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 ता 7 के नाम से संयुक्त रूप से दर्ज होने कारण प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 ता 7 के मध्य आपस में पारस्परिक विवाद अरसा से चला आ रहा है और हमारे बीच आपस में उक्त भूमि का उपयोग, उपभोग करने में अकसर विवाद होता रहता है। विवादित भूमिका अभी तक विभाजन नहीं हुआ है और ना ही अभी तक किसी हिस्सेदार के समक्ष यह स्थिति स्पष्ट हुई है कि किस हिस्सा पर व किस किला पर किस हिस्सेदार का कब्जा है इसलिए पक्षकारान के मध्य हर समय उक्त भूमि की काश्त सिंचाई आदि को लेकर व अपने हिस्सानुसार राजस्व कर व सिंचाई कर आदि को लेकर हर समय विवाद रहता है जिस संबंध में प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से कई बार कहा किस भी जने इकट्ठे होकर तहसील में चलकर अपने हिस्सा अनुसार एवं भूमि की किस्म अनुसार भूमि का विभाजन करवा लेवें ताकि प्रत्येक पक्ष अपने अपने हिस्सा की भूमि को अच्छी तरह से काश्तकर सके ओर उसका उपयोग, उपभोग कर सके। लेकिन अप्रार्थीगण हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देते। वर्तमान में अप्रार्थी सं. 3 चंचलादेवी व अप्रार्थी सं. 4 शकुन्तलादेवी ने उक्त वर्णित संयुक्त खाता की भूमि में से अपने 2/6 हिस्सा यानि 1.786 हैक्टर भूमि को बेचान अप्रार्थी सं. 8 को जरिये बेचाननामा दिनांक 10.7.2019 को निष्पादित कर पंजीकृत करवा दिया है लेकिन अभी तक बेचाननामा के आधार पर अप्रार्थी सं. 8 के नाम से नामान्तरण दर्ज नहीं हुआ है। अब अचानक अप्रार्थी सं. 8 अरसा दो रोज पूर्व बिना खाता विभाजन करवाये उक्त संयुक्त खाता के विशिष्ठ किलाजात की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करने लगा जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 8 को ऐसा करने से रोका और तदुपरांत अप्रार्थी सं. 1 ता 8 से तहसील में चलकर [illegible] किस्म अनुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में बटवारा [illegible] का कहा तो अप्रार्थी सं. 8 ऐसा करने से साफ इंकार हो गया तथा [illegible] कहा कि उसे बंटवारा की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसने अप्रार्थी सं. 3 व [illegible] से उनके हिस्सा की जमीन जरिये पंजीकृत बैयनामा खरीद ली है इसलिए वह अपनी मनमर्जी से जहां उसे जमीन अच्छी लगेगी उन विशिष्ठ किलाजात पर अपना कब्जा करेगा और प्रार्थीगण को जबरन बेदखलकर देगा जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 1 ता 7

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.05.03 17:00:39 IST
Reason: SelfAttested

से सहयोग करने का कहा तो उन्होंने भी प्रार्थीगण का कोई सहयोग करने से मनाकर दिया। अप्रार्थी सं. 8 अब बलपूर्वक संयुक्त खाता की उक्त कृषि भूमि में अपनी मनमर्जी अनुसार विशिष्ठ किलाजात की भूमि पर काबिज होने के प्रयासरत है। अप्रार्थी सं. 8 को कतई अधिकार नहीं है कि वह बिना खाता विभाजन करवाये विशिष्ठ किलाजात का कब्जा प्राप्त करे। अगर अप्रार्थी सं. 8 ऐसा करने में कामयाब हो गया तो प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति मुद्रा की ऐवज में नहीं हो सकेगी। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई व्यादेश प्राप्त करने के अधिकारी हैं। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण तथा सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी किया गया व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1, 5, 8 की ने प्रकरण में उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना–पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। वाके चक नं. 13 के तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं. 53 पत्थर नं. 96/11 की कुल 6.249 हैक्टर कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 ता 7 की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि नहीं है बल्कि इस कृषि भूमि में से अप्रार्थी सं. 3 चंचला देवी व अप्रार्थी सं. 4 शकुन्तला देवी ने अपने–अपने हिस्सा की कृषि भूमि जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 10.7.2019 के प्रतिफल की ऐवज में अप्रार्थी सं. 8 पाल सिंह को बेचान कर कब्जा भूमि सुपुर्द कर दिया है। अप्रार्थी सं. 3 व 4 का उक्त वर्णित का उक्त वर्णित कृषि भूमि में कोई हित व अधिकार नहीं रहा है बल्कि पाल सिंह उक्त वर्णित कृषि भूमि में से 1.786 हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार टीनेन्ट है। अप्रार्थी सं. 3 व 4 भूमि की सह–काश्तकार नहीं है। अप्रार्थी सं. 3 व 4 को गलत रूप से पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। उक्त वर्णित 6.249 हैक्टर भूमि में से अप्रार्थी सं. 8 अपनी जरिये पंजीकृत बैयनामा खरीदशुदा कृषि भूमि 1.786 हैक्टर पर काबिज काश्त होकर उसका निरन्तर सुविधानुसार उपयोग–उपभोग कर रहा है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 1 ता 7 के मध्य कभी कोई विवाद नहीं हुआ और ना ही किसी विवाद के संबंध में प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण से कभी मिले। प्रार्थीगण ने वाद को रंग देने, अनावश्यक विवाद व उलझाव पैदा करने की गर्ज से मिथ्या तथ्य दर्ज किये हैं। प्रार्थीगण ने मुझ अप्रार्थी सं. 8 के पक्ष में बैयनामा के आधार पर होने वाली नामान्तरण कार्यवाही को रूकवाने के लिए व अनावश्यक उलझाव पैदा करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार समस्त 6.249 हैक्टर भूमि पर स्थगन प्राप्त किया है जबकि समस्त कृषि भूमि पर स्थगन या निषेधाज्ञा प्राप्त करने के प्रार्थीगण कतई अधिकारी नहीं है। हम अप्रार्थीगण यहां यह भी स्पष्ट करते हैं कि अप्रार्थी सं. 1 किशोरीलाल ने उक्त कृषि भूमि में से अपने 1/7 हिस्सा की भूमि का विक्रय दिनांक 9/10/2019 को करके अप्रार्थी सं. 8 पाल सिंह को करके बयाना रकम दो लाख रूपये वसूल अप्रार्थी सं. 8 पाल सिंह से रोबरू गवाह वसूल पा लिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.05.03 17:00:39 IST
Reason: SelfAttested

हैं तथा अप्रार्थी सं. 5 सन्तोष कुमारी उर्फ सुचेता ने उक्त कृषि भूमि में से अपने 1/7 हिस्सा की भूमि का विक्रय दिनांक 9/10/2019 को करके अप्रार्थी सं. 8 पाल सिंह को करके बयाना रकम एक लाख रूपये वसूल अप्रार्थी सं. 8 पाल सिंह से रोबरू गवाह वसूल पा लिए हैं । अप्रार्थी सं. 1 वृद्ध एवं हृदय रोगी है जिसकी हार्ट का ऑप्रेशन होना है। अप्रार्थी सं. 1 ने अपने इलाज हार्ट ऑप्रेशन की व अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने हिस्सा की भूमि प्रतिफल की ऐवज में विक्रय कर बयाना राशि प्राप्त की है तथा शेष राशि बैयनामा के समय प्राप्त करना तय किया है। अप्रार्थी सं. 5 लकवा रोग से ग्रस्त है। अप्रार्थी सं. 5 ने अपने इलाज व अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने हिस्सा की भूमि प्रतिफल की ऐवज में विक्रय कर बयाना राशि प्राप्त की है तथा शेष राशि बैयनामा के समय प्राप्त करना तय किया है। चूंकि प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय ने वाद पेश कर मेरे हिस्से की भूमि पर स्थगन प्राप्त कर लिया है जिस कारण अप्रार्थी सं 1व 5 अपने हक, अधिकार व इलाज से वंचित हो गए हैं तथा बैयनामा पंजीयन में बाधा उत्पन्न हो गयी है जिस कारण अप्रार्थी सं. 1 व 5 को भूमि विक्रय का बकाया प्रतिफल प्राप्त नहीं हो पा रहा है और पैसे के अभाव में अप्रार्थी सं. 1 मेरा हार्ट का ऑप्रेशन रूक जाने के कारण मन अप्रार्थी सं. 1 के जीवन पर संकट आ गया है तथा पैसे के अभाव में अप्रार्थी सं. 5 के इलाज व अन्य जरूरतों की पूर्ति पर संकट आ गया है। प्रार्थीगण कतई सद्भावी नहीं है और प्रार्थीगण ने हम अप्रार्थीगण को परेशान व ब्लैकमेल करने की गर्ज से मिथ्या तथ्यों पर वाद व उसके साथ स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया है। वाद से अर्सा 2 रोज पूर्व अप्रार्थी सं. 8 से प्रार्थीगण नहीं मिले और ना ही अप्रार्थी सं. 8 ने संयुक्त खाता की उक्त भूमि में से विशिष्ठ किलाजात पर कब्जा करने कोई प्रयास नहीं किया और ना ही प्रार्थीगण ने भूमि का बंटवारा हेतु कहा तो अप्रार्थी सं. 8 द्वारा इंकार करने या अपनी मनमर्जी से जहां जमीन अच्छी लगेगी उन विशिष्ठ किलाजात पर अपना कब्जा करने या प्रार्थीगण को बेदखल करने की धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। प्रार्थीगण को कोई वाद कारण प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति होने कतई संभावना नहीं है और ना ही प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा या स्थगन प्राप्त करने के हकदार हैं। प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण विधिविरूद्ध व निराधार होने कारण काबिल खारिज है। प्रार्थीगण, अप्रार्थी सं. 1, 2, 5 ता 8 विवादित कृषि भूमि के सह खातेदार एवं सह काश्तकार कृषि हैं। काननून सह–काश्तकार [illegible] स्वीकार नहीं किया जा सकता। चूंकि हम अप्रार्थी[illegible] सह–काश्तकारान के विरूद्ध किसी प्रकार की अ[illegible] नहीं किया जा सकता और ना ही सह–काश्तकारान को अपने हिस्सा भूमि[illegible] विक्रय करने/हस्तान्तरित करने से निर्बन्धित नहीं किया जा सकता है। संयुक्त सम्पत्ति के सभी सह–अंशधारी कब्जा में होने माने जाते हैं तथा सह–स्वामी/सह–काश्तकार बिना विभाजन के अपने हिस्से की सम्पत्ति को विक्रय करने के हकदार प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.05.03 17:00:39 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण तथा सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र काबिल खारिज है, जो खारिज किया जावे।

प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी संख्या 1,5,8 के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता का कहना है कि विवादित भूमि संयुक्त खाता की है जिसका अभी तक विभाजन नही हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1ता7 विवादित कृषि भूमि के सह–काश्तकार व सह–खातेदार है। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 ने बिना विभाजन करवाये अपने हिस्सा की भूमि जरिये बैयनामा अप्रार्थी संख्या 8 पाल सिंह को विक्रय कर दी है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 5 ने भी अप्रार्थी संख्या 8 को भूमि विक्रय का इकरारनामा कर बयाना राशि वसूल पा ली है। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 द्वारा अपने हिस्सा का बैचान अप्रार्थी संख्या 8 को किये जाने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 8 अब बल पूर्वक अपनी मनमर्जी अनुसार विशिष्ठ किला की भूमि पर बिना विभाजन करवाये काबिज होने के प्रयासरत है। अभी तक स्थिति स्पष्ट नही है कि किस हिस्सा व किस किला पर किस हिस्सेदार का कब्जा है। अप्रार्थी संख्या 8 को यह अधिकार नही है कि विशिष्ठ किलाजात का कब्जा प्राप्त करे और प्रार्थीगण को बेदखल करने का प्रयास करे। यदि अप्रार्थी संख्या 8 ऐसा करता है तो अपराधिक मुकदमेबाजी होगी। ना ही अप्रार्थी संख्या 1 व 5 बिना विभाजन करवाये अपनी भूमि का विक्रय कर सकते है इसलिए तमाम कृषि भूमि के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि विवादित कृषि भूमि के अप्रार्थी संख्या 1ता7 सह–काश्तकार व सह–खातेदार नही है। क्योंकि अप्रार्थी संख्या 3 व 4 विवादित कृषि भूमि मे अपने हिस्सा की 1.786 हैक्टर कृषि भूमि का विक्रय अप्रार्थी संख्या 8 पालसिंह को दिनांक 10.07.2019 से जरिये बैयनामा कर कब्जा सुपुर्द कर चुकी है। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 से खरीदशुदा 1.786 हैक्टर कृषि भूमि का अप्रार्थी संख्या 8 पालसिंह खातेदार टीनेन्ट है। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 का विवादित भूमि मे कोई हक व हिस्सा नही है। अप्राार्थी संख्या 1,5 व 8 विवादित कृषि भूमि पर अपने – अपने हिस्सा अनुसार काबिज काश्त है। अप्रार्थी सं. 8 संयुक्त खाता की उक्त भूमि में से विशिष्ठ किलाजात पर कब्जा करने का प्रयासरत नही है और ना ही अप्रार्थी सं. 8 ने अपनी मनमर्जी से जहां जमीन अच्छी लगेगी उन विशिष्ठ किलाजात पर अपना कब्जा करने या प्रार्थीगण को [illegible] करने की धमकी दी है। प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति होना कतई [illegible] नहीं है प्रार्थीगण, अप्रार्थी सं. 1, 2, 5 ता 8 विवादित कृषि भूमि के सह खातेदार एवं सह काश्तकार कृषि हैं। काननून सह–काश्तकार के विरूद्ध स्थगन स्वीकार नहीं किया जा सकता। अप्रार्थीगण सह–काश्तकार हैं तथा सह–काश्तकारान के विरूद्ध किसी प्रकार की अनिषेधाज्ञा या स्थगन प्रदान नहीं किया जा सकता और ना ही सह–काश्तकारान को अपने हिस्सा भूमि का विक्रय करने/हस्तान्तरित करने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.05.03 17:00:39 IST
Reason: SelfAttested

निर्बन्धित नहीं किया जा सकता है। संयुक्त सम्पत्ति के सभी सह–अंशधारी कब्जा में होने माने जाते हैं तथा सह–स्वामी/सह–काश्तकार बिना विभाजन के अपने हिस्से की सम्पत्ति को विक्रय करने के हकदार है प्रथम दृष्ट्या प्रकरण तथा सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

1. टी. रामालिंगेशवर राव (मृतक) जरिये विधिक प्रतिनिधि बनाम् एन माधवराव **2019 DNJ (SC) 370**
2. **2018 (1) RRT 405** घासीलाल व अन्य बनाम् रामभरोसे व अन्य
3. **2009 (1) RRT page 25** कर्मजीत कौर बनाम् गुरदीपसिंह व अन्य
4. **2013 DNJ (REVENUE) 194** किरण व अन्य बनाम् अजय कुमार व अन्य
5. **2014-15 (supp.) RRT 657** गणपतसिंह बनाम् बलवीर सिंह व अन्य
6. **2015 DNJ (Revenue) page 18** मूलचन्द व अन्य बनाम् छोटू व अन्य

विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा कोई नजीर प्रस्तुत नही की गई।

हमने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का सुक्ष्मता से अवलोकन किया। दोनो पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अध्ययन किया। प्रार्थीगण के विद्ववान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिये हमारे समक्ष तीन बिन्दू है। जिन पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार से हैः–

प्रथम दृष्टया प्रकरण :– यह कि प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खाता की सम्पति है। जिसमे प्रार्थीगण का हित निहित है। वादग्रस्त कुल सम्पति 6.249 हैक्टर में वादी संख्या 1 सुरेश कुमार की 0.892 हैक्टर भूमि एंव वादी संख्या 2 राकेश कुमार की 0.298 हैक्टर भूमि है। वादीगण तमाम 6.249 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहते है तथा अप्रार्थीगण को इस अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना चाहते है कि वे अपनी भूमि विक्रय या हस्तान्तरित नहीं करे। अप्रार्थी संख्या 8 पालसिंह द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 उनके हिस्से की भूमि जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 10.07.2019 से भूमि खरीद की है। न्यायिक [illegible] 2019 [illegible] 370 में अभिर्निधारित किया गया है कि अपीलान्ट ने एक सह–का[illegible]र [illegible] जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र भूमि खरीद की है। वादी रेस्पोंडेन्ट अपीलान्ट के [illegible] के विरूद्ध यह आदेश प्राप्त करने का अधिकारी नही है तथा पैरा नं0 1[illegible] में वर्णित किया है कि Defendant Nos. 1 and 2 (appellants herein) being the purchasers of the Suit property from the one of the co-sharers stepped into the shoes of their vendor (co-sharer) and, therefore, had a right to defend their title and

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kum
Date: 2021.05.03 17:00:39 IST
Reason: SelfAttested

possession against the other co-sharer. अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की भूमि का खरीददार अप्रार्थी संख्या 8 का स्टेटस सह–खातेदार का बन गया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि सह–खातेदार काश्तकार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता और ना ही सह–खातेदार काश्तकार को उसके हिस्से की भूमि का बेचान करने से निर्बन्धित किया जा सकता है। सह–खातेदार बिना विभाजन करवाये अपनी सम्पति को विक्रय करने अथवा काश्त करने के हकदार है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के हिस्से की भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने या अप्रार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि विक्रय/हस्तान्तरित व काश्त करने से निर्बन्धित करवाने के अधिकारी नही है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों से भी उक्त तथ्य व विधिक सिद्धान्तों को बल मिलता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

सुविधा का संतुलनः–जहाँ तक सुविधा का संतुलन का तथ्य है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष मे सिद्ध नही होता है ऐसी स्थिति में अगर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थीगण के अपेक्षा अप्रार्थीगण को ज्यादा असुविधा होगी तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 5 अपने बीमारी के इलाज व अन्य जरूरतो से वंचित हो जावेगें एवं अप्रार्थीगण कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों से वंचित हो जायेगें। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

अपूर्णीय क्षतिः–प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में तय हो चुके है तथा प्रार्थीगण अपने पक्ष में दोनो बिन्दू साबित करने में असफल रहे है। अप्रार्थीगण जो कि सह–खातेदार काश्तकार है इस स्थिति में अगर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण अपने कानूनी अधिकारों से वंचित हो जायेगें। जिससे अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

::आदेश::

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के विरूद्ध तय किये गये है। प्रार्थीगण न्यायालय से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 राज.काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक **13.11.2019** को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kuma
Date: 2021.05.03 17:00:39 IST
Reason: SelfAttested

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़